आदर्श उपविधियां

उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड

निबन्धक

सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश

लखनऊ

मार्च, 1975

उपभोक्ता सहकारी समिति लि०

की

उप विधियां

१–नाम और पता

१—यह समिति..................उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड कहलायेगी ।

२—इसका पंजीकृत कार्यालय...............तहसील........ डाकखाना..................जिला................ में स्थित होगा ।

२–कार्य-क्षेत्र

३—इस समिति का कार्यक्षेत्र..............तक सीमित होगा ।

३–परिभाषायें

४—इन उपविधियों में अभिव्यक्तिः—

(१) "समिति" का तात्पर्य......................उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड है ।

(२) "डिपो" का तात्पर्य समिति द्वारा चलाई जा रही फुटकर वितरण करने वाली दूकान से है ।

(३) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९६६) से है ।

(४) "नियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है ।

(५) "उपविधियों" का तात्पर्य इस समिति की पंजीकृत उपविधियों से है ।

(६) "निबन्धक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन सहकारी समितियों के निबन्धक (रजिस्ट्रार) के रूप में तत्समय नियुक्त व्यक्ति से है तथा इसके अन्तर्गत उक्त धारा की उपधारा (३) के अधीन नियुक्त ऐसा व्यक्ति भी है जो निबन्धक के सभी या किन्ही अधिकारों का प्रयोग करें ।

(७) "शासन अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी या अधिकारियों से है जो नियंत्रित वस्तुओं के सुचारू रूप से वितरण तथा देख-रेख हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त किया गया हो/गये हों।

(८) "नियन्त्रित पदार्थों" का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जिनका वितरण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियंत्रित किया गया हो।

(९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(१०) "प्रबन्ध कमेटी" का तात्पर्य समिति की ऐसी कमेटी से है, जिसे धारा २९ के अधीन समिति के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया हो।

(११) इन उपविधियों में प्रयोग किए गये शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही तात्पर्य होगा जैसा कि अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट है।

४–उद्देश्य

५––समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) मुख्य:—

(१) अपने सदस्यों में बचत आदि निर्भरता और सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित करना।

(२) जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों अथवा उनकी अनुपस्थिति में अन्य थोक साधनों से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्य पर क्रय करना और उनके संग्रह, प्रक्रिया, पैकिंग एवं वितरण की उचित व्यवस्था करना।

(३) आंशिक अथवा पूर्ण रूप से नियन्त्रित वस्तुओं के कारोबार को संचालित एवं संगठित करना जो नियन्त्रित हैं अथवा अल्प मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ख) गौण:—

(४) सदस्यों की सुविधा हेतु कोई अन्य व्यवसाय जैसे सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सिलाई की दुकानें इत्यादि चलाना।

(५) केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की सहायता से कर्मचारियों का सम्वर्ग बनाना और उनके उचित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।

(६) किसी या सब उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऐसे सभी कार्य करना जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति से सम्बन्धित अथवा उसमें सहायक हों।

५–सदस्यता

६—कोई स्वस्थ मस्तिष्क, अच्छे चरित्र और १८ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति, जो समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रहता हो, सदस्य बनने का पात्र होगा। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति सदस्यता ग्रहण करने का पात्र होगा।

७––साधारण सदस्यों के अतिरिक्त समिति में निम्नलिखित प्रकार के सदस्य भी होंगे:—

(क) सहानुभूतिकर सदस्य,
(ख) नाम मात्र सदस्य,
(ग) सम्बद्ध सदस्य,

(क) कोई स्वस्थ मस्तिष्क, अच्छे चरित्र और १८ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति जो वास्तविक रूप से समिति के उद्देश्यों की उन्नति में या सदस्य कर्मचारियों के हित में अभिरुचि रखता हो, सहानुभूतिकर सदस्य बनाया जा सकता है। समिति में किसी भी समय सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या, कुल साधारण सदस्यों की संख्या के, ५ प्रतिशत से अधिक न होगी। प्रबन्ध कमेटी में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या न दो से अधिक होगी, न ही उनकी कुल सदस्यता के १० प्रतिशत से अधिक होगी और न प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के पांचवें भाग से ही अधिक होगी।

कोई स्वस्थ मस्तिष्क, अच्छे चरित्र और १८ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति समिति का तब तक सहानुभूतिकर सदस्य नहीं बनाया जा सकता जब तक कि वह समिति के सचिव को लिखित रूप में निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र न देता। कोई भी सहानुभूतिकर सदस्य उतने ही अंश खरीदेगा जिनका मूल्य और सीमा उसके बराबर होगी, जो किसी साधारण सदस्य के लिए व्यवस्थित हो।

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसके साथ समिति कारोबार करती है अथवा कारोबारी व्यवहार रखने का विचार रखती है, नाम मात्र सदस्य बनाया जा सकता है। नाम मात्र सदस्य समिति के लाभांश में हिस्सा पाने का अधिकारी न होगा और न वह प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता ग्रहण करने का ही पात्र होगा।

(ग) कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी है, जो समिति के कारोबार में मौसमी या अस्थायी कर्मचारी अथवा शिशिक्षु हो या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखता हो, सम्बद्ध सदस्य बनाय जा सकता है।

(घ) सम्बद्ध सदस्य प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के पात्र न होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का ही उसे अधिकार होगा ।

(ङ) नाम मात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा ।

८—मौलिक सदस्य वह होंगे जो समिति के निबन्धन हेतु भेजे गये प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे । तत्पश्चात् प्रार्थियों में से वही सदस्य बनाये जायेंगे जो सदस्यता के पात्र होंगे ।

९—इस समिति में सदस्यों की भर्ती उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८ के नियम ३८ के अनुसार होगी ।

१०—(क) प्रत्येक सदस्य समिति को सदस्यता ग्रहण करने के पूर्व घोषणा-पत्र पर इस आशय के हस्ताक्षर करेगा कि वह समिति की वर्तमान उप-विधियों और किसी संशोधन अथवा ऐसी उपविधियों में हुए परिवर्तन जो उसकी सदस्यता की अवधि में विधिक रूप से लागू हो सकते हैं और ऐसे आदेश निर्देश और विनियम भी जो कि नियन्त्रित वस्तुओं के वितरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस सम्बन्ध में प्रसारित किये जावें अथवा जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये हों और निबन्धक द्वारा अनुमोदित किये हों, से बाध्य होगा ।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो समिति के निबंधन हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण सदस्य हो उसे ऐसे घोषणा-पत्र पर, निबन्धन के एक माह के भीतर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा । अन्यथा वह समिति को सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है ।

११—प्रत्येक व्यक्ति को सदस्यता ग्रहण करने के पूर्व, प्रवेश शुल्क के रूप में १ रुपया समिति को देना होगा जो वापस नहीं किया जावेगा और न उस पर कोई ब्याज देय होगा ।

१२—कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने का तब तक हकदार न होगा जब तक कि वह घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर न कर दे, सदस्यता शुल्क और कम से कम एक हिस्से की पहली किस्त भुगतान न कर दे। समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा ।

१३—किसी भी सदस्य से उसके आश्रितों की संख्या, आयु और उसकी आय का पूरा और शुद्ध विवरण, समिति द्वारा मांगा जा सकता है । कोई भी सदस्य जो ऐसी सूचना नहीं देता है अथवा गलत सूचना देता है अथवा समिति की उपविधियों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है उस पर

१०० रु० तक जुर्माना किया जा सकता है या समिति से निकाला जा सकता है या दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं । समिति इस प्रकार की त्रुटि की रिपोर्ट जिला के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु करेगी ।

१४—सदस्य घोषणा-पत्र द्वारा एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है जिसको कि उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका अंश अथवा ब्याज यदि कोई हो, भुगतान अथवा हस्तान्तरित कर दिया जायेगा । मनोनीत व्यक्ति समिति को दुबारा दिए गए घोषणा-पत्र द्वारा बदला जा सकता है । अगर सदस्य के मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सदस्य मृत्यु की सूचना समिति को देगा और अन्य व्यक्ति को मनोनीत करेगा । प्रत्यक मनोनयन दो गवाहों द्वारा प्रमाणित होगा । यदि कोई व्यक्ति मनोनीत नहीं किया गया है या सम्बन्धित सदस्य की मृत्यु के पश्चात् मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, परन्तु वास्तविक अदायगी करने से पूर्व, उस सदस्य का अंश या ब्याज उस व्यक्ति को दिया या हस्तान्तरित किया जावेगा जिसे प्रबन्ध कमेटी सदस्य का उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि समझे । ऐसी सब धन-राशियां जो अवयस्क को देय हैं वह उसको उसके संरक्षक के माध्यम से दी जावेगी ।

१५—सदस्यता निम्नलिखित दशाओं में समाप्त हो जावेगी:—

(१) मृत्यु हो जाने पर,

(२) सदस्यता के त्यागपत्र देने पर, जब वह स्वीकृत हो जाय,

(३) स्थानान्तरण, निवृत्ति अथवा धृत सभी अंशों के जब्त हो जाने पर,

(४) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने पर,

(५) समिति का कार्यक्षेत्र छोड़ देने पर,

(६) प्रबन्ध कमेटी द्वारा निष्कासित या पृथक् कर दिए जाने पर (जो कारण भी स्पष्ट करेगी) इसकी अपील सामान्य निकाय में की जा सकती है ।

१६—कोई भी सदस्य, बशर्ते कि समिति का उसके जिम्मे कोई बकाया नहीं है, समिति को एक माह की नोटिस देकर सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है । नोटिस की अवधि समिति में प्राप्त नोटिस की दिनांक से गिनी जायेगी ।

१७—(क) कोई भी सदस्य प्रबन्ध कमेटी द्वारा निष्कासित अथवा हटाया जा सकता है यदि वहः—

(१) समिति का कम से कम ६ माह से लगातार बकाया दार हो जाय,

(२) गलत घोषणा देकर समिति को धोखा दे अथवा समिति की उपविधियों के अनुसरण में घोषणा करे अथवा घोषणा किसी ऐसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाये जिससे समिति को आर्थिक या वित्तीय हानि या अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हों अथवा जिससे सदस्यों को समिति में से अनुचित लाभ उठाने का अवसर मिले,

(३) उसे निबन्धक की राय में नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसा दोष सिद्ध अपील न रद्द न की गई हो,

(४) ऐसा कोई कार्य, जो समिति की उपविधियों का उल्लंघन करते हुए उसके हित या उद्देश्यों के लिए घातक हो, करे,

(५) अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों में दी गई अर्हताओं को पूरा न करे,

(६) अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के प्राविधानों के विपरीत समिति का सदस्य बना लिया गया है,

(७) विकृत चित्त का हो जाय अथवा कोढ़ से पीड़ित हो,

(८) समिति की किन्हीं निधियों अथवा सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का दोषी पाया जाय या समिति की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाये और किसी अपराध में दंडित किया गया हो ।

(ख) कोई भी सदस्य जिसका प्रबन्ध कमेटी द्वारा, अधिनियम, नियमों तथा समिति की उपविधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत निष्कासित अथवा हटाया जाना अपेक्षित हो, उसे नोटिस प्राप्ति के १७ दिन के अन्दर यह स्पष्ट करना होगा कि उसे समिति की सदस्यता से, जैसी भी स्थित हो, क्यों न हटाया निष्कासित कर दिया जाय ।

६—दायित्व

१८—सदस्य का दायित्व, समिति के ऋण के प्रति, उसके द्वारा खरीदे गये अंशों की नामिक मूल्य तक सीमित होगा ।

७—निधियां

१९—समिति की पूंजी निम्नलिखित एक अथवा समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है:

(१) प्रवेश शुल्क,
(२) अंश पूंजी
(३) निक्षेप,
(४) दान तथा अनुदान,
(५) चन्दा,
(६) ऋण,
(७) रक्षित एवं अन्य निधियां और
(८) लाभ ।

८—अंश

२०—(क) समिति की पूंजी १० रुपया प्रति अंश के अनिर्धारित संख्या से बनेगी जिसमें से ५ रुपया प्रार्थना-पत्र के साथ जमा करना होगा तथा शेष उसके सदस्य बनने के ६ माह के अन्दर एक या अधिक किस्तों में देय होगा ।

(ख) नाममात्र तथा सम्बद्ध सदस्य के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य कम से कम एक अंश क्रय करेगा और समिति के साथ उसके लेन-देन के आधार पर कार्यकारिणी समिति अतिरिक्त अंशों को प्रविष्ट कर सकती है। कोई भी सदस्य अंश पूंजी के ऐसे भाग से अधिक अथवा अभिदत्त अंश पूंजी के १/५ से अधिक अथवा १,००० रु० की कीमत, जो भी कम हो, के अंश नहीं खरीदेगा ।

(ग) समिति की मुहर सहित अंश का प्रमाण-पत्र जारी किया जायगा जो सचिव द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रबन्ध कमेटी के एक अन्य सदस्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायगा । ऐसा प्रमाण-पत्र पूरा अंश धन जमा हो जाने के बाद जारी किया जायगा ।

(घ) यदि प्रमाण-पत्र खो जाय या नष्ट हो जाय तो उसकी दूसरी प्रति ५० पैसे भुगतान करने पर प्राप्त की जा सकती है ।

२१—यदि सदस्य अंश की किस्त ६ माह से अधिक समय तक जमा नहीं कर पाता है, तो प्रबन्ध कमेटी, नोटिस देने के बाद, ऐसे समस्त अंशों तथा भुगतानों को जब्त घोषित कर सकती है और इन अंशों से सम्बन्धित सदस्यता के अधिकार समाप्त हो जायेंगे । इस प्रकार जब्त किए गये अंश, जब्त होने की तिथि के ६ माह के अन्दर समस्त बकाया धन राशियों एवं प्रति अंश ५० पैसा नवीनीकरण देने के उपरान्त नवीनीकृत किये जा सकते हैं। जब्त किये गये अंशों का धन रक्षित कोष के खाते में जमा कर दिया जायगा ।

२२—(क) किसी सदस्य को अपना अंश या अंशों को किसी व्यक्ति को, उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जो सदस्यता के पात्र हों, हस्तांतरित करने

की स्वीकृति नहीं दी जायगी जब तक कि प्रबन्ध कमटी उनकी सदस्यता स्वीकृत नहीं कर लेती है जो सदस्य अपना हिस्सा हस्तान्तरित करना चाहते हों, समिति को अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत प्राविधानों के अनुसार सूचित करेंगे ताकि समिति ऐसे हस्तान्तरण में सहायता दे सके ।

(ख) सदस्य—

(१) जिसने त्याग-पत्र दे दिया हो, या

(२) जो हटा दिया गया हो, या

(३) जो समिति से निष्कासित कर दिया गया हो, या

(४) जो मर गया हो और उसका उत्तराधिकारी या मनोनीत व्यक्ति समिति का सदस्य न बना लिया गया हो, अपने हिस्से का धन वापस पाने का अधिकारी न होगा;

(क) जब तक कि उसका समस्त देय धन अदा न हो जाय, और

(ख) अधिनियम की धारा २३ के अन्तर्गत निर्धारित अवधि व्यतीत न हो गई हो ।

हिस्से का धन जो वापस नहीं किया गया है, उस पर समिति उस दर तक ब्याज देगी जो उस दर से अधिक न होगा जिस दर से समिति ने लाभांश दिया हो । यह ब्याज उस दिनांक तक दिया जायगा जिस दिनांक तक समिति ने हिस्से का धन भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की हो ।

(ग) किसी सदस्य द्वारा धृत अंशों को, समिति के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति या निकाय से लिए गये किसी ऋण के प्रतिभूति के रूप में, दृष्टि बन्धक नहीं रखा जायगा ।

९—ऋण

२३—(क) निबन्धक की स्वीकृति के उपरान्त समिति का अधिकतम दायित्व उसकी स्वामित्वयुक्त पूंजी (अदा शुदा अंशधन और रक्षित तथा अन्य कोष) के दस गुना से अधिक न होगा ।

(ख) समिति की पूंजी उसके उद्देश्यों की पूर्ति में लगाई जावेगी । पूंजी का कोई भी भाग जिसकी तत्कालीन आवश्यकता न हो, उपविधि २४ के अनुसार बाहर लगाया जावेगा ।

(ग) समिति सदस्यों या सदस्यों से, उपविधि २३ (क) के अनुसार निश्चित अधिकतम दायित्व से अधिक, धन निक्षेप नहीं करेगी और न ऋण लेगी ।

१०—विनियोग

२४—समिति अपनी पूंजी नियम १७३ के अन्तर्गत प्राविधानों के अनुसार निम्न-प्रकार से लगायेगी:—

(क) पोस्ट आफिस सेविंग बैंक, या

(ख) इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट, १८८२ की धारा २० में निर्दिष्ट किन्हीं प्रतिभूतियों में, या

(ग) किसी दूसरी पंजीकृत समिति के हिस्सों या प्रतिभूतियों में, या

(घ) किसी बैंक में जिसको निबन्धक ने बैंकिंग व्यवसाय के लिए स्वीकृत किया हो, या

(ङ) नियम १७३ और अधिनियम की धारा ५९ में उल्लिखित किसी दूसरे प्रकार से ।

२५—अधिनियम की धारा ५९ और उसके अन्तर्गत बने नियमों व आदेशों के अधीन, समिति की पूंजी, निबन्धक के द्वारा स्वीकृत स्थानीय बैंक के चालू खाते में जमा की जा सकती है और धन बैंकों द्वारा सचिव के हस्ताक्षर एवं सभापति के प्रति हस्ताक्षर द्वारा निकाला जा सकता है । सभापति के बाहर होने पर उनके द्वारा मनोनीत अन्य संचालक के प्रति हस्ताक्षर होंगे ।

११—संगठन एवं प्रबन्ध

२६—समिति के कार्यों का प्रबन्ध निम्नलिखित निकायों और अधिकारियों में निहित होगा:—

(क) सामान्य निकाय,

(ख) प्रबन्ध कमेटी,

(ग) कार्यकारिणी समिति,

(घ) पर्यवेक्षण समिति,

(ङ) सभापति,

(च) सचिव।

क—सामान्य निकायों

२७—समिति की सर्वोच्च सत्ता उसकी सामान्य निकाय में निहित होगी जो कि सदस्यों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों तथा मनोनीत संचालकों, यदि कोई हों, से बनेगी । चुनाव के लिए समिति का कार्यक्षेत्र उतने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होगा जितने निबन्धक सदस्यता तथा स्थानीय दशाओं के आधार

पर निश्चित करेगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से प्रति वर्ष एक सौ या उसके हिस्से पर एक प्रतिनिधि चुना जावेगा जो साधारण सभा में भाग लेगा। प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए नामांकन निर्वाचन क्षेत्र की साधारण सभा में किया जायेगा। सहकारी वर्ष समाप्त होने के शीघ्र बाद ही और अधिक से अधिक माह अगस्त के अन्त तक प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया जायगा, जिसके बाद चुने हुए एवं नामांकित प्रतिनिधियों की सामान्य निकाय जो कि पिछले वर्ष से कार्य कर रही है अपना कार्य समाप्त कर देगी। प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु होने वाली बैठक के लिये सदस्यों को कम से कम तीन दिन की नोटिस दी जायेगी। ऐसी बैठकों के लिए गणपूर्ति, सदस्यों की संख्या का १/५ अथवा २५ जो भी कम है होगी। प्रबन्ध कमेटी, जिला सहायक निबन्धक की सहमति से इन बैठकों के लिए संयोजकों की नियुक्ति करेगी। यदि यह चुनाव माह अगस्त के अन्त तक नहीं कराये जाते हैं, तो जिला सहायक निबन्धक संयोजकों की नियुक्ति करेगा और जहां तक सम्भव होगा माह अक्तूबर के समाप्त होने तक चुनाव पूर्ण करा देगा। कोई भी सदस्य प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने का पात्र न होगा यदि उसकी आयु २१ वर्ष से कम है।

नोट——कोई सदस्य जो किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में रहता है, केवल उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने का पात्र होगा।

२८——प्रबन्ध कमेटी अपनी स्वेच्छा से सामान्य निकाय की बैठक बुला सकती है और निबन्धक के अधियाचन पर बुलाई जावेगी, अथवा उनके द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति अथवा सदस्यों के संख्या के १/१० अथवा २० जो भी कम हो, की लिखित प्रार्थना पर बुलाई जा सकती है। निबन्धक अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति अथवा प्रतिनिधियों की प्रार्थना पर बुलाई गई बैठक इस प्रकार की प्रार्थना अथवा अधियाचन के प्राप्त होने के एक माह के अन्दर बुलाई जायेगी। इन बैठकों में बैठक बुलाने के लिये दी गई नोटिस में दिये हुए विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार न होगा।]

२९——(क) साधारणतया साधारण सभा की बैठक की सूचना (जिसमें निर्वाचन हो) बैठक का स्थान, दिनांक तथा समय और उस बैठक में विचार किये जाने वाले विषयों का संदर्भ दिया हो, बैठक बुलाने की तारीख के कम से कम ६० दिन पूर्व सामान्य निकाय के सदस्यों को दी जायेगी, वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक के लिये सूचना के साथ-साथ वार्षिक प्रबन्ध प्रतिवेदन, सम्प्रेक्षण प्रमाण-पत्र और रोकड़-पत्र (बैलेन्स शीट) की एक-एक प्रतिलिपि भी भेजी जायेगी। ऐसी सूचना किसी सदस्य को न मिलने की दशा में बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं मानी जावेगी।

(ख) समिति की सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारिणी समिति की बैठक समिति के केवल मुख्यालय पर होगी।

३०——(क) यदि सामान्य निकाय का कोई सदस्य सामान्य निकाय की बैठक में प्रस्ताव रखना चाहता है तो उसका विवरण सचिव को बैठक की तिथि से कम से कम ७ दिन पूर्व लिखित रूप में देना होगा। सभापति विशेष परिस्थितियों में कम समय की नोटिस देने की अनुमति दे सकता है।

(ख) निम्नलिखित दशाओं में पूर्व सूचना देना आवश्यक न होगा:—

(१) कार्य-सूची (एजेण्डा) के क्रम में परिवर्तन की दशा में,

(२) मीटिंग स्थगन अथवा विघटन की दशा में,

(३) एजेण्डा में दिए हुए किसी एक प्रस्ताव के बाद किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार करने की दशा में,

(४) विचाराधीन विषय को विचार, विमर्श, निर्णय अथवा प्रतिवेदन हेतु प्रबन्ध कमेटी को प्रेषित किए जाने की दशा में,

(५) बैठक को कमेटी तथा कमेटियों में विभक्त करने के प्रस्ताव की दशा में,

(६) जांच-पड़ताल हेतु कमेटी नियुक्त करने अथवा बैठक के समक्ष किसी विषय पर रिपोर्ट करने की दशा में,

(७) किसी प्रश्न पर वोट लेने की दशा में,

(८) किसी विषय को लेने की दशा में जो कि प्रबन्ध कमेटी की राय में तत्कालिक महत्व का हो, और

(९) किसी विषय को उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर।

३१——(क) सामान्य निकाय में किसी विषय पर निर्णय लेने के प्रतिनिधियों के कम से कम १/३ या २५ जो भी कम हों, का कोरम होना आवश्यक होगा। कोरम के अभाव में स्थगित मीटिंग के लिए प्रतिनिधियों का १/५ का कोरम होगा।

(ख) सदस्यों के आवेदन पर बुलाई जाने वाली सभा के लिए, निर्धारित समय के बाद यदि एक घंटा के अन्दर कोरम पूरा नहीं होता तो भंग समझी जायगी। किसी अन्य दशा में प्रबन्ध कमेटी द्वारा यथाशीघ्र फिर से बैठक बुलाई जायेगी जिसके लिये उपविधि २९ (क) के अनुसार सूचना की अवधि का प्रतिबन्ध आवश्यक न होगा।

(ग) सभापति कमेटी की अनुमति से किसी बैठक को समय-समय पर स्थगित कर सकता है किन्तु स्थगित की हुई बैठक में वही कार्य होगा जो बैठक स्थगित करते समय विचार के लिए अवशेष रहा हो।

३२--समिति का सभापति उसकी बैठकों का सभापतित्व करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में उप सभापति अथवा दोनों की अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य जो कि उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक का सभापति चुना गया हो, बैठक का सभापतित्व करेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उप सभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व उस दशा में नहीं करेगा जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी है जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

३३--सहकारी वर्ष समाप्त होने के तुरन्त बाद, किन्तु ३० नवम्बर के पूर्व प्रबन्ध कमेटी समिति की वार्षिक सामान्य बैठक बुलायेगी जिसमें कि निम्नलिखित कार्य सम्पादित होंगे:—

(क) वार्षिक लेखों एवं गत वर्ष की रोकड़-पत्र (बैलेंस शीट) और लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र तथा नियम ९२ के अनुसार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सिवाय उस दशा के जब नियत अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो, पर विचार,

(ख) प्रबन्ध कमेटी द्वारा समिति के आगामी सहकारी वर्ष के लिए तैयार किये गये कार्यकलापों की स्वीकृति,

(ग) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार,

(घ) सहकारी अधिनियम, नियमों एवं इन उपविधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत शुद्ध लाभ का निस्तारण,

(ङ) अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्ष के लिए सभापति तथा उप सभापति और प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का चुनाव,

(च) आगामी सहकारी वर्ष के लिए समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना,

(छ) उपविधि ३० (क) के अनुसार कोई अन्य विषय जो कि उसके समक्ष प्रबन्ध कमेटी अथवा किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा लाया जाय,

(ज) कोई अन्य विषय सभापति की आज्ञा से:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, समिति जो ३० नवम्बर के पश्चात् भी अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करने की अनुमति दे सकता है और उस दशा में वार्षिक सामान्य बैठक इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर होगी।

३४--समिति अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में असम्प्रेक्षित लेखा-जोखा (बैलेंस शीट) और जिस पर संप्रेक्षक का प्रमाण-पत्र नहीं दिया हुआ है, विचार नहीं करेगी और न उसे प्रकाशित करेगी। यदि समिति वार्षिक सामान्य बैठक उपविधि ३३ के अन्तर्गत उसके लेखों का परीक्षण होने के पूर्व किसी वर्ष हो तो निम्नलिखित विषयों पर समिति की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विचार किया जायगा :—

(क) गत सहकारी वर्ष का लेखा-जोखा (बैलेंस शीट) और वार्षिक प्रतिवेदन,

(ख) गत वर्ष का लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र और सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन,

(ग) शुद्ध लाभ का निस्तारण।

३५--अधिनियम, नियमों और उपविधियों को ध्यान में रखते हुए सामान्य या विशेष सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी तथा दूसरे निकाय के समक्ष समस्त प्रश्न बहुमत से निर्णीत होंगे। सामान्य मतों की दशा में सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

३६--बैठक की कार्य-सूची में दिए हुए क्रम के अनुसार ही समस्त विषयों पर विचार किया जायगा, जब तक कि उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से सभापति क्रम को बदलने के लिए तैयार न हो जाय।

३७--अधिनियम, और नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उप-सभापति और समिति के अन्य अधिकारियों के चुनाव के अतिरिक्त मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा।

३८--अधिनियम और नियमों में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति निर्वाचन हेतु की गई बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा यदि वह व्यक्ति स्वयं ही अधिकारी के चुनाव के लिए उम्मीदवार हो।

ख—प्रबन्ध कमेटी

३९—प्रबन्ध कमेटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(१) सभापति,

(२) ....सदस्य जो कि सभापति के हिस्सेदारों के सामान्य निकाय के लिये प्रतिनिधियों में से चुने जायेंगे।

(३) निबन्धक द्वारा नामजद व्यक्ति, यदि कोई हो, जिनकी संख्या दो से अधिक न होगी।

(४) सहानुभूतिकर सदस्यों के प्रतिनिधि अधिनियम १८ (२) ख के अनुसार।

४०—प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ३ सहकारी वर्ष का होगा जिसमें चुनाव का वर्ष भी शामिल है। कोई भी चुना गया संचालक दो लगातार अवधियों से अधिक अवधि में पदासीन होने का पात्र न होगा, चाहे वह समय पूर्ण अथवा भाग में हो। चुने हुए सदस्य तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी चुने अथवा मनोनीत नहीं कर लिए जाते। किसी विवाद की स्थिति में चुने हुए सदस्यों की अवधि का निपटारा अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अनुसार होगा।

४१—प्रबन्ध कमेटी का नाम निर्दिष्ट सदस्य अधिनियम और नियमों के अधीन निर्दिष्ट अधिकारी के प्रशाद पर्यन्त पदासीन रहेगा।

४२—यदि प्रबन्ध कमेटी के चुने हुए सदस्यों में कोई आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो यह स्थान कार्यकाल की अव्यतीत अवधि के लिए प्रबन्ध कमेटी के अवशेष सदस्यों जो प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के योग्य हों, द्वारा भरी जायेगी। यदि मनोनीत सदस्य का स्थान रिक्त होता है तो कार्यकाल के अव्यतीत समय के लिए निबन्धक से मनोनयन के लिए निवेदन किया जायेगा।

४३—कोई भी व्यक्ति इस समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा यदि नियम ४५३ में निर्दिष्ट अनर्हताओं का पात्र है।

४४—सचिव या सभापति द्वारा निर्धारित तिथि पर वर्ष में कम से कम चार बार प्रबन्ध कमेटी की बैठकें होंगी। साधारण तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठक होने के पूर्व से दिनांक प्रत्येक सदस्य जो सात दिन का नोटिस दिया जायेगा जिसमें कि समय, स्थान एवं विचारणीय विषयों का हवाला भी दिया जायेगा, किसी भी विषय पर निर्णय लेने हेतु कम से कम ५ सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। कोई भी सदस्य किसी ऐसे विषय पर विचार-विमर्श या मत देने का पात्र न होगा जिसमें कि उसका व्यक्तिगत स्वार्थ निहित है।

सभी बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियां इस प्रयोजन के लिए रक्खी गई पुस्तिका में अभिलिखित की जायेंगी और कार्यवृत्तियों पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति और समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

४५—प्रबन्ध कमेटी के निम्नलिखित अधिकार और कर्त्तव्य होंगे:—

(१) उपविधि ४६ के अनुसार अपने में से प्रति वर्ष कार्यकारिणी समिति का गठन करना।

(२) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करना।

(३) समिति द्वारा चलाये जा रहे प्रत्येक केन्द्र के लिए एक पर्यवेक्षण समिति का गठन करना।

(४) पूंजी का धन बढ़ाना जो कि उस वर्ष निर्धारित अधिकतम दायित्व की सीमा से अधिक न हो।

(५) प्रत्येक वर्ष समिति की वार्षिक सामान्य बैठक बुलाना और उसके समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखा-जोखा (बैलेंस शीट) और ऐसी अन्य निबन्धक द्वारा निर्धारित विवरणियां प्रस्तुत करना।

(६) समिति की वार्षिक लेखा-जोखा (बैलेंस शीट) प्रकाशित करना।

(७) इस विषय में समय-समय पर निबन्धक द्वारा प्रसारित किये गये आदेशों के अधीन, समिति के वेतनभोगी और गैर-वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, हटाना, निलम्बित अथवा किसी अन्य प्रकार से दंडित करना और उनमें से सब या किसी एक को उतनी प्रतिभूति जमा करने के लिए आदेश देना जितनी कि आवश्यक समझी जाय तथा उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।

(८) अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत उपविधि के अनुसार सदस्य के निष्कासन या हटाये जाने की स्वीकृति देना।

(९) शिकायतों को सुनना और निर्णय देना।

(१०) समिति के लिए एक विधि परामर्शदाता की नियुक्ति करना।

(११) निक्षेपों पर समय-समय पर ब्याज की दर निर्धारित करना।

(१२) जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार में हिस्से खरीदना और निबन्धक की स्वीकृति से किसी अन्य केन्द्रीय सहकारी समिति में हिस्से खरीदना।

(१३) समिति के खर्चे हेतु निबन्धक की पूर्व अनुमति से, सदस्यों द्वारा समिति से की गई खरीद पर उनमें चंदा वसूल करना जो साधारण-तया ५ पैसा प्रति रुपया की दर से अधिक न होगा। यह चंदा उसी स्थिति में वसूल किया जावेगा जब समिति अपने अर्जित लाभ से खर्चा न चला पावे।

(१४) इन उपविधियों के अनुसार सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक में लाभांश के वितरण और लाभ तथा रक्षित कोष के निस्तारण का प्रस्ताव करना।

(१५) निबन्धक एवं सहकारिता विभाग के अन्य कर्मचारियों के निरीक्षण पत्र एवं सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना और आगामी सामान्य निकाय की बैठक में उनको प्रस्तुत करना।

(१६) समिति द्वारा या समिति के खिलाफ या समिति के अधिकारियों, समिति के कारोबार से सम्बन्धित अपने चुने सदस्यों द्वारा अथवा

किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दावा या वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ करना, चलाना, बचाव करना, समझौता करना, सालसी कार्यवाही के लिए भेजना या छोड़ देना ।

(१७) विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने किन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों को कार्यकारिणी समिति, पर्यवेक्ष समिति, समिति के अधिकारियों या सदस्य को हस्तांतरित करना ।

(१८) साधारणतया समिति के कारोबार की देख-रख हेतु समिति का कारोबार चलाने के लिए निबन्धक की अनुमति से, इन उपविधियों और अधिनियम व नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियम बनाना ।

(१९) समिति के किसी अधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप हित से कोई न होगा:—

(१) समिति द्वारा की गई किसी संविदा में,

(२) समिति द्वारा खरीदी गई या बेंची गयी सम्पत्ति में,

(३) समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी के लिए समिति द्वारा निवास-स्थान की व्यवस्था से भिन्न किसी व्यवहार में ।

४६—सभापति सहित कार्यकारिणी समिति में ५ सदस्य होंगे यह लोग प्रबन्ध कमेटी द्वारा अपने सदस्यों में से एक वर्ष के लिए चुने जावेंगे। कार्यकारिणी समिति का सदस्य अपने कार्यकाल की अवधि में केवल २ तिहाई संचालकों की सहमति से हटाया जायगा ।

कार्यकारिणी समिति की बैठक तब-तब बुलाई जायेगी जब समिति के कारोबार के सम्बन्ध में आवश्यकता पड़े और किसी भी दशा में एक माह से अधिक समय का अन्तर न होगा। सभापति की लिखित प्रार्थना पर किसी भी समय कार्यकारिणी समिति को विशेष बैठक बुलाई जा सकती है ।

कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक में ३ सदस्यों का कोरम होगा ।

४७—कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे:—

(१) नये सदस्यों की भर्ती व उनके हिस्सों का निर्धारण करना और सदस्यों का त्याग-पत्र स्वीकृत करना।

(२) कार्यालय को नियमित रूप से चलाना ।

(३) सचिव या प्रबन्धक द्वारा किये गये या प्रस्तावित आकस्मिक व्ययों पर स्वीकृति प्रदान करना ।

(४) समिति के वैतनिक या अवैतनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना, परन्तु उस पर प्रबन्ध कमेटी की स्वीकृति और अधिनियम व नियमों के अनुसार निबन्धक की स्वीकृति भी ली जायगी ।

(५) समिति के किसी कर्मचारी को निलंबित करना जिस पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा विचार किया जायगा ।

(६) समिति के लेखा की जांच एवं परीक्षा करना और निबन्धक की स्वीकृति से समिति में प्रयोग किये जाने वाले लेखों एवं रजिस्टरों के रूप-पत्र और अन्य लेख-पत्रों का निर्धारण करना ।

(७) प्रबन्ध कमेटी को जुलाई के अन्त तक वार्षिक लेखा-जोखा (बैलेंस-शीट), विवरण एवं प्रतिवेदन और किसी भी समय ऐसे सभी प्रति-वेदनों और विवरणों को प्रस्तुत करना जैसा कि प्रबन्ध कमेटी या निबन्धक मांगें ।

(८) सदस्यों के बीच हिस्सों के हस्तांतरण के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करना और उन पर आदेश करना ।

(९) समिति की निधियों, स्टाफ और लेख-पत्रों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना ।

(१०) विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने किन्ही अधिकारों और कर्तव्यों को पर्यवेक्षण समिति, सचिव, प्रबन्धक, प्रबन्ध कमेटी के सदस्य या सदस्यों को हस्तांतरित करना ।

(११) प्रबन्ध कमेटी की स्वीकृति से समिति के कारोबार को चलाने हेतु नियमों को बनाना ।

(१२) निबन्धक द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण शुल्क के भुगतान की व्यवस्था करना ।

घ–पर्यवेक्षण समिति

४८—प्रबन्ध कमेटी द्वारा प्रत्येक डिपो के लिए पर्यवेक्षण समिति नियुक्त की जायेगी । यह समिति ३ सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से दो उस क्षेत्र से होंगे जिनको डिपो की सेवायें उपलब्ध हैं और एक समिति का संचालक होगी । उपरोक्त उप कमेटी डिपो के कार्यों के सामान्य पर्यवेक्षण के अतिरिक्त उन अधिकारों का प्रयोग करेगी जो कार्यकारिणी समिति द्वारा उसको सौंपे गये हों ।

ङ–सभापति

४९—सभापति और उप-सभापति का चुनाव वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में होगा । वह समस्त सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटियों तथा कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

५०—सभापति समिति का मुख्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी होगा और आपातिक स्थितियों में, निबन्धक की अनुमति से, प्रबन्ध कमेटी को प्राप्त समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा । यह समिति के कार्य को सुचारु-रूप से संचालित करेगा ।

च–सचिव

५१—सचिव की नियुक्ति धारा ३१ के अन्तर्गत की जायेगी । वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा । उसके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:--

(१) साधारण सभा, प्रबन्ध कमेटी और कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना ।

(२) कार्यवाही पुस्तिका में ऐसी बैठकों की कार्यवाही लिखना जो सभापति या बैठक के किसी दूसरे सदस्य, जो अध्यक्षता करता हो द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।

(३) कार्यालय के कार्यों का अधीक्षण करना, ठीक-ठीक हिसाब-किताब और अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने और साधारणतया समिति की ओर से पत्र-व्यवहार करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करना तथा सदस्यों का रजिस्टर पूर्ण रखना ।

(४) समिति द्वारा लगाये गये रुपये के लेन-देन की देखरेख करना ।

(५) पुस्तकों, अभिलेखों और समिति की सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करना, उनको समुचित दशा में रखना और आवश्यकता पड़ने पर उनके बीमा कराने की व्यवस्था करना ।

(६) समिति द्वारा संचालित डिपो की देखरख व निरीक्षण करना और उनके कुशल व सुव्यवस्थित कार्य-संचालन की व्यवस्था करना ।

(७) समिति के केन्द्रों की पूर्ति और विक्रय हेतु सामान को प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से, जैसी भी स्थिति हो, व्यवस्था करना और इन उपविधियों के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, उनको विनियमित करना ।

(८) प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आकस्मिक खर्चों का करना ।

(९) हिस्सा प्रमाण-पत्रों, निक्षेप रसीदों, विलेखों और अन्य किसी प्रकार के लेख-पत्रों जिन पर कि प्रबन्ध कमेटी के सभापति के भी हस्ताक्षर होंगे, को छोड़कर, समिति की ओर से सभी प्राप्तियों एवं सभी कागजों जिसमें समिति एक पार्टी है, एकाउन्टेन्ट के साथ हस्ताक्षर करना ।

(१०) जैसा कि प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारिणी समिति द्वारा अपेक्षित हो जुलाई के अन्त तक वार्षिक लेखा-जोखा (बैलेंस-शीट) विवरणियां या रिपोर्टों को प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार करना ।

(११) लिखित आदेशों और प्रबन्ध कमेटी की या कार्यकारिणी समिति की विशेष लिखित आज्ञा के अनुसार अपने किन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों को अपने सहायकों को प्रतिनिहित करना ।

(१२) साधारणतया प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंप गये कारोबार का चलाना तथा अन्य कार्यों का सम्पादन ।

(१३) यदि सचिव की राय में प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित कोई प्रस्ताव या समिति के अधिकारी द्वारा प्रसारित किया गया कोई आदेश समिति के उद्देश्यों, अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के प्रतिकूल है, सचिव उसका कार्यान्वयन रोक लेगा और सभापति को लिखित रूप में इस आशय से प्रेषित करेगा कि वह इस विषय को निर्णय हेतु निबन्धक को भेज दे । यदि सभापति सचिव के प्रार्थना-पत्र को पाने के ३ दिन के अन्दर निबन्धक को इस आशय का संदर्भ नहीं प्रेषित करता है तो सचिव स्वयं ही इस मामले को निबन्धक को निर्णय हेतु दे सकता है । यदि निबन्धक द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना सन्दर्भ प्राप्त होने के ३५ दिन के अन्दर नहीं प्राप्त होती है तो सचिव उस प्रस्ताव या आदेश, जैसी भी स्थिति हो, के प्रसारण को आगे नहीं रोकेगा ।

(१४) समिति की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखना और इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियत कालिक विवरण-पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करना और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करना ।

छ–कोषाध्यक्ष

५२—कोषाध्यक्ष समिति को प्राप्त समस्त धनराशियों को ग्रहण करेगा और कार्य-कारिणी समिति, सचिव, सभापति या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार भुगतान करेगा । वह

कैशबुक या पास बुक पर (जैसा कि कार्यकारिणी समिति या निबन्धक द्वारा नियुक्त की गई हो) उसकी शुद्धता के प्रतीक में हस्ताक्षर करेगा। कार्यकारिणी समिति द्वारा अधिकृत किसी सदस्य, निबन्धक या किसी अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी (जिसे निबन्धक के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत किया गया हो), के द्वारा मांगे जाने पर तहबील को प्रस्तुत करेगा। वह कारिणी कार्य समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत धन आकस्मिक व्यय के लिये अपने पास रोक सकता है और अपने पास जमा ऐसी धनराशि की सुरक्षा, परिरक्षा के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

ज–वस्तुओं की बिक्री

५३—प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाये गये और निबन्धक द्वारा स्वीकृत विनियमों के अनुसार, समिति द्वारा चलाये गये केन्द्र वस्तुएं नकद मूल्य पर बेचेगी। निबन्धक की स्वीकृति से ऐसे नियम गैर-सदस्यों को भी वस्तुएं बेचने का प्राविधान कर सकते हैं। उधार बिक्री नहीं की जायेगी।

५४—कार्यकारिणी समिति के निर्देशों पर स्थानीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए, सचिव वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करेगा।

५५—निबन्धक द्वारा स्वीकृत वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत समिति सदस्यों और गैर सदस्यों दोनों से मियादी निक्षेप प्राप्त कर सकती है।

५६—समय-समय पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा निक्षेपों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर निर्धारित की जायेगी। चालू मियादी निक्षेपों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर तब तक नहीं बदली जायगी जब तक कि ऐसे निक्षेपों की अवधियां समाप्त न हो जायं।

५७—नियम १८५ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार समिति न्यूनतम शीघ्र परिवर्तनशील परिसम्पत्तियां रखेगी।

५८—(क) भण्डार के सकल लाभ में से निम्नलिखित मदों को घटाकर वर्ष का शुद्ध लाभ निकाला जायगा:—

(१) ब्याज जो दिया गया हो।

(२) प्रबन्ध व्यय जो किया गया हो।

(३) क्षति की अन्य मदें।

(ख) भण्डार किसी भी सहकारी वर्ष में अपने शुद्ध लाभ में से:—

(१) ऐसी धनराशि जो २५ प्रतिशत से कम हो, एक निधि में संकलित करेगा जो रक्षित निधि कहलायेगी।

(२) नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए कम से कम एक प्रतिशत, नियमों द्वारा स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में जमा करेगा।

(ग) वितरण योग लाभ को निकालने के लिए शुद्ध लाभ के शेष, अधिनियम की धारा ५८ की उपधारा (१) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्त उपविधि (ख) में दी गई मदों के निकालने के पश्चात् निम्नलिखित को निकाल दिया जायगा:—

(१) सभी ब्याज जो अतिदेय हो।

(२) सभी अर्जित ब्याज किन्तु जो ऐसे सदस्यों से जिनसे ब्याज अतिदेय हो, कम न हो।

(३) ऐसी उधार बिक्री पर जिसकी वसूली अतिदेय हो, अर्जित कमीशन या लाभ सीमा।

इस प्रकार निकाले गये शेष वितरण योग लाभ को निम्न प्रकार से वितरित किया जायगा:—

(१) सदस्यों को उनकी दत्त अंश पूंजी पर ९ प्रतिशत अनधिक दर से लाभांश का भुगतान।

(२) सदस्यों को बोनस भुगतान करने में जिसकी दर भण्डार की सामान्य निकाय निबन्धक की अनुमति से तय करेगी।

(३) अशोध्य ऋण निधि में १० प्रतिशत तक उस अवशेष लाभ पर होगा जो रक्षित निधि में डालने के बाद शेष बचा हो।

(४) चैरीटेबुल इन्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८९० की धारा २ (क) में परिभाषित उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक ५ प्रतिशत धन किसी दान के हेतु चन्दा दिया जा सकता है।

(५) किसी अन्य कोष में जैसे भवन निधि, सामान्य हित कोष, अंश हस्तान्तरण कोष और घट-बढ़ कोष आदि।

(६) रक्षित कोष को बढ़ाने में।

(७) आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में आगे ले जाना।

५९--रक्षित कोष निबन्धक की स्वीकृति से नियम १७३ में उल्लिखित किसी एक या अधिक रीतियों से विनियोजित अथवा जमा किया जायगा।

६०--रक्षित कोष अविभाज्य होगा और किसी सदस्य को इसके किसी निर्दिष्ट भाग पर कोई अधिकार न होगा।

६१--(१) समिति के समापन की दशा में उसका रक्षित कोष और अन्य फण्ड सर्वप्रथम समिति की जिम्मेवारियों को चुकता करने और उसके बाद चुकता हिस्से की धनराशि को वापस करने और यदि लाभांश जो लाभ में से दिया नहीं गया है, उस अवधि का देने में लगाया जायगा जो सवा छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिक न होगा।

(२) उप खण्ड (१) में उल्लिखित भुगतान करने के पश्चात् यदि कोई धनराशि शेष रह जाय तो उसका प्रयोग राष्ट्रीय रक्षा निधि या ऐसे धर्मार्थ प्रयोजनाओं या लोक उपयोगिता के स्थानीय उद्देश्यों में अंशदान देने के लिए किया जायगा जिसे प्रबन्ध कमेटी चुने और जिसका निबन्धक अनुमोदन करे। यदि निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रबन्ध कमेटी ऐसे उद्देश्य अथवा प्रयोजन को न चुन सके जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित हो तो निबन्धक अतिरिक्त निधियों का प्रयोग या तो राष्ट्रीय रक्षा निधि में अथवा नियम १३८ में अभिविष्ट सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान देने के लिए कर सकता है।

६२--अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अनुसार समिति में निम्नलिखित रजिस्टर और लेखा पुस्तकें रखी जावेगी:—

(१) सदस्य रजिस्टर।

(२) कार्यवाही पस्तिका, जिसमें साधारण सभा, प्रबन्ध कमेटी और कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखी जावेगी।

(३) प्रतिनिधि रजिस्टर।

(४) नकद प्राप्ति रसीद।

(५) व्यय पत्र की पत्रावली जिसमें समस्त व्यय पत्र क्रमशः नम्बर डाल कर तारीख वार रखे जावेंगे।

(६) लाभांश एवं बोनस रजिस्टर।

(७) कैश बुक जिसमें समस्त आय-व्यय व तहवील जो प्रतिदिन निकाली जावेगी, लिखी जावेगी।

(८) भण्डारों का स्टाक रजिस्टर।

(९) खाता जिसमें प्रत्येक सदस्य का हिसाब लिखा जायेगा।

(१०) हिस्से का रजिस्टर।

(११) प्रत्येक सदस्य की पासबुक।

(१२) नियतावधि जमा रजिस्टर।

(१३) नियम ३६४ में उल्लिखित अन्य रजिस्टर तथा वह लेखा पुस्तकें जिन्हें निबन्धक तथा प्रबन्धक कमेटी समय-समय पर नियत करे।

१५–भत्ते व अन्य सुविधायें

६३—समिति के सभापति/उप-सभापति तथा प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों को नियम ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८ व ३८९ के उपबन्धों के अधीन सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनसार यातायात भत्ते का भुगतान किया जायेगा। इसक अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी सामान्य निकाय द्वारा नियमों क अनुसार ही उपलब्ध होंगी।

१६–अंशदायी भविष्य निधि

६४—समिति अपन कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड) की स्थापना करेगी जिसकी व्यवस्था तथा अंशदान अधिनियम की धारा ६३ तथा नियमों २०१, २०२, २०३ व २०४ के अधीन होगी।

१७–लेखा परीक्षा

६५—समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार अधिनियम की धारा ६४ व नियमों के अनुसार निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

१८–विवादों का निपटारा

६६--तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि वह समिति के संगठन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध, समिति के वेतनभोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न, कोई विवाद:—

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच; अथवा

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य अथवा सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाली किसी व्यक्ति और समिति उसकी प्रबन्ध कमेटी अथवा समिति के अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी जिनके अन्दर भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं के बीच; अथवा

(ग) समिति अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी और समिति की किसी भूतपूर्व प्रबन्ध कमेटी या किसी अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति या उसके दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच अथवा;

(घ) समिति और किसी अन्य सहकारी समिति या समितियों के बीच उत्पन्न हो तो;

वह अधिनियम, नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिए निबन्धक को अभिविष्ट किया जावेगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय को कोई वाद अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होगा।

१६–उपविधियों में संशोधन

६७--(१) उक्त प्रयोजनों के लिए बुलाई गई किसी सामान्य बैठक में उपस्थिति कम से कम दो तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा किसी उपविधि में संशोधन किया जा सकता है, अर्थात् उसमें परिवर्तन या विखण्ड किया जा सकता है अथवा नई उपविधि बढ़ाई जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधन अथवा ऐसे संशोधन जिन्हें करने के लिए निबन्धक अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के अधीन अपेक्षा करे, संकल्प केवल साधारण बहुमत द्वारा अंगीकृत किए जा सकते हैं।

(२) उपविधियों के संशोधन पर विचार करने के लिए सामान्य निकाय की सामान्य बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को ३० दिन की नोटिस जिसके साथ प्रस्तावित संशोधन की एक प्रति भी होगी, दी जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के अधीन निबन्धक से प्राप्त किसी आदेश के अनुसरण में बुलाई जाए तो ऐसी बैठक के लिए १५ दिन की नोटिस पर्याप्त होगी:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई बैठक निबन्धक की अनुज्ञा से नियम २६ के अधीन १/५ या १/७ के कम गणपूर्ति से बुलाई जावे तो ऐसी बैठक के लिए ७ दिन की नोटिस पर्याप्त होगी।

(३) ऐसी बैठक के लिए जिसमें किसी उपविधि के संशोधन पर विचार किया जावे, समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई की गणपूर्ति अपेक्षित होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी बैठक में उपरोक्त अपेक्षित गणपूर्ति न हो सके तो निबन्धक समिति को यह निदेश दे सकता है कि वह दूसरी बैठक बुलाये जिसमें अपेक्षित गणपूर्ति कम करके १/५ कर दी जायगी और सदस्यों को इस तथ्य की लिखित सूचना दे:

प्रतिबन्ध यह भी है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधनों के अंगीकार किये जाने की दशा में अथवा निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के अधीन यह निदेश दिये जाने पर कि उसे समिति द्वारा अंगीकार किया जाय तो अपेक्षित गणपूर्ति को उस दशा में जब बैठक १/५से कम की गई गणपूर्ति के अभाव में न हो, १/७ तक और कम करने की निबन्धक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है। यह तथ्य कि बैठक १/७ की और कम की गई गणपूर्ति से होगी ऐसी बैठक की कार्यसूची को नोटिस में उल्लिखित किया जायेगा।

२०–पुनर्वित्त उपविधियों के निबन्धन के पश्चात् सामान्य निकाय की बैठक

--(क) इन उपविधियों के निबन्धन के दिनांक से ६० दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसके लिए निबन्धक द्वारा लिखित रूप से अनुज्ञा दी जाय, अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (७) के अधीन प्रबन्ध कमेटी गठित करने के लिए, समिति सामान्य निकाय की एक बैठक करेगी जिसके लिए कम से कम ४५ दिन का नोटिस देगी जिसमें बैठक का दिनांक, समय तथा स्थान और कार्यसूची (एजेण्डा) उल्लिखित होगी।

(ख) वर्तमान समिति की दशा में इन उपविधियों के पंजीकरण के पश्चात् तीन माह की अवधि के भीतर प्रबन्ध समिति का नये रूप से गठन, अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए चुनाव किया जायगा। तदुपरान्त प्रबन्ध समिति के समस्त सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जावेगा।

(ग) उपरोक्त उल्लिखित सामान्य निकाय की बैठक उन सहकारी वर्ष/वर्षों के लिये, वार्षिक सामान्य बैठक समझी जायेगी, जिनकी वार्षिक सामान्य बैठक नहीं हुई हैं। उक्त बैठक में निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे:—

(क) बैठक का सभापतित्व करने के लिये व्यक्ति का निर्वाचन (निर्वाचन हाथ उठाकर होगा)।

(ख) पिछले सहकारी वर्ष/वर्षों के रोकड़ पत्र (बैलेन्स शीट) और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, जिनका लेखा परीक्षण समाप्त हो गया।

(ग) नियम ६२ के अधीन, पिछले सहकारी वर्ष/वर्षों का लेखा प्रमाण-पत्र और लेखा परीक्षण पत्र पर विचार।

(घ) आगामी वर्ष के लिये समिति के अधिकतम दायित्व का सीमा निर्धारण।

(ङ) गत सहकारी वर्ष/वर्षों के लिये शुद्ध लाभ का वितरण,

(च) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार।

(छ) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष रखा जाय।

(ज) नियमों और उप विधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन।

२१–निर्वाचन नियम (सामान्य)

६९—समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन कार्य-सूची की अंतिम मद के रूप में समिति की, वार्षिक सामान्य बैठक में, अथवा अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (६) में उल्लिखित सामान्य बैठक, में जैसी भी दशा हो, होगा।

७०—प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के लिये समिति निबन्धक की पूर्व अनुमति से :—

(क) क्षेत्रीय या किसी अन्य युक्तियुक्त आधार पर विभिन्न वर्गों में अपनी सदस्यता विभाजित कर सकती है।

(ख) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की संख्या अथवा उनका अनुपात भी ऐसी रीति से निर्दिष्ट कर सकती है कि प्रबन्ध कमेटी में जहां तक हो सके, यथास्थिति, समिति के विभिन्न क्षेत्रों या हितों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व हो सके।

७१—कोई भी व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी होने के पश्चात् और उस वर्ष में निर्वाचन होने तक, नाममात्र तथा सम्बद्ध सदस्य को छोड़ कर, समिति का सदस्य नहीं बनाया जायगा।

७२—वार्षिक सामान्य बैठक का सभापतित्व सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति करेगा। सभापति तथा उप-सभापति दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य सामान्य निकाय के किसी अन्य सदस्य को बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुन सकते हैं।

७३—गणपूर्ति न होने या उपविधियों में व्यवस्थित किसी अन्य कारण से स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक, मूल बैठक की नोटिस की कार्य-सूची में दिये गये समय तथा स्थान पर १६वें दिन (जिसकी गणना स्थगन के दिनांक को सम्मिलित करके की जायेगी) होगी, और कार्य-सूची की केवल उन्हीं मदों को लिया जायेगा, जो मूल बैठक में रह गई हों।

७४—आगे दिये गये प्राविधानों के अधीन तैयार की गई मतदाता सूची और वैध नाम-निर्देशन-पत्रों की अन्तिम सूची स्थगित बैठक में निर्वाचन के लिये भी लागू होगी।

७५—समिति का सचिव समिति की नामावलि के ऐसे सदस्यों की एक सूची तैयार करेगा जो नियमावली तथा समिति की उपविधियों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान के लिये आई हों। ऐसी सूची वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी करने के लिये दिनांक को या उसके पूर्व तक अद्यावधिक की जायगी। सूची में अलग से (अन्त में उन) सदस्यों के नाम होंगे जो मतदान करने के लिये अर्ह न हों, और उनके साथ ऐसी अर्हता के कारण भी होंगे तथा ऐसी विधि के (उपविधि सहित) संगत उपबन्धों का उल्लेख भी होगा जिनके अन्तर्गत ऐसी अर्हता हो गई हो। सूची पर सचिव तथा प्रबन्ध कमेटी के एक सदस्य द्वारा भी, हस्ताक्षर किये जावेंगे।

७६—सूची में अनर्ह दिखाया गया सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक के निश्चित दिनांक के कम से कम ३ दिन पूर्व अपनी अनर्हता दूर करने की कार्यवाही कर सकता है और यदि निर्वाचन के दिनांक कम से कम ३ दिन पूर्व अनर्हता दूर कर दी जावे तो सम्बद्ध सदस्य को मतदान करने का अधिकार होगा।

७७—सदस्यों की सूची किसी भी सदस्य द्वारा निःशुल्क निरीक्षण करने के लिये समिति के कार्यालय में कार्य समय में उपलब्ध रहेगी। सूची की प्रति सदस्यों को बेचे जाने के लिये भी उपलब्ध रहेगी यदि समिति की प्रबन्ध कमेटी ने ऐसा सकल्प किया हो।

७८—(१) समिति की वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थान उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा निश्चित किया जायगा। बैठक का स्थान या तो समिति का कार्यालय या समिति के मुख्यालय के निकट कोई सार्वजनिक स्थान होगा। समिति की वार्षिक सामान्य बैठक ३० नवम्बर के पूर्व किसी दिनांक को या बढ़ाये गये दिनांक यदि कोई हो, के भीतर जिसकी अनुमति निबन्धक या उनके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाय, होगी। सामान्य बैठक की नोटिस उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार दी जायगी।

(२) नियम ४११ में किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचन के लिये की गई बैठक में कोई भी ऐसा व्यक्ति उसका सभापतित्व न करेगा जो स्वयं उस बैठक में पदाधिकारी चुने जाने के लिये उम्मीदवार हो ।

७९—वार्षिक सामान्य बैठक में:—

(१) प्रबन्ध कमेटी के लिये उतने सदस्य, जिनके लिये समिति की उपविधियों में व्यवस्था है ।

(२) निर्वाचन प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में से सभापति तथा उप-सभापति निर्वाचित किये जायेंगे ।

८०—(क) उपविधि ७९ के अधीन निर्वाचन के लिये उम्मीदवारों के नाम-निर्देशन का प्रस्ताव तथा उसका अनुमोदन बैठक में ही किया जायगा । नामों की वापसी के, यदि कोई हो, पश्चात् निर्वाचन हाथ उठाकर होगा ।

(ख) उपविधि खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, यदि निबन्धक की, समिति की सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी के अनुरोध पर अथवा अन्यथा, उन कारणों सेजो अभिलिखित किये जायेंगे, यह राय हो कि निर्वाचन गुप्त मत-पत्र द्वारा हो तो वह जिला मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा करेगा कि वह निर्वाचन के निमित्त 'प्रेक्षक' के रूप में कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त करे और समिति को यह निर्देश देगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का और तत्पश्चात् सभापति तथा उप-सभापति का निर्वाचन गुप्त मत-पत्र द्वारा करे ।

(ग) जब निबन्धक उपविधि खण्ड (ख) के अधीन निर्देश दे तक बैठक में आवश्यक शलाका-पत्र तैयार किये जावेंगे जिन पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम होंगे और बैठक का सभापति "प्रेक्षक" की उपस्थिति में गुप्त मत-पत्र द्वारा मतदान करावेगा ।

(घ) यदि निर्वाचन गुप्त मत-पत्र द्वारा हो तो नियम ४२३, ४२४, ४२६ और ४२८ के उपबन्ध यथोचित परिवर्तनों और इस परिष्कार के साथ लागू होंगे कि नियम ४२६ व ४२८ के शब्द पीठासीन अधिकारी का उस मामले में, अभिदेश बैठक के सभापति से होगा और निर्वाचन कार्यवाहियों पर उपविधि खण्ड (ग) में अभिदिष्ट प्रेक्षक भी हस्ताक्षर करेगा ।

(ङ) बराबर-बराबर मत की दशा में मामले का निर्णय पर्ची डालकर किया जायगा ।

स्पष्टीकरण (१) उपविधि ८० में अभिदिष्ट जिला मजिस्ट्रेट का तात्पर्य उस जिला के जिला मजिस्ट्रेट से है जिसमें समिति का मुख्यालय हो ।

(२) उपविधि ४५, ७६ और ७९ के प्रयोजनों के लिये पद "वार्षिक सामान्य बैठक" का अभिदेश अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (६) के अधीन निबन्धक द्वारा बुलाई गई समिति की सामान्य निकाय की सामान्य बैठक से भी होगा ।

२२—अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सभापति या उपसभापति का हटाया जाना

८१—नियमों के उपबन्धों के अनुसार ही सभापति या उप-सभापति को सामान्य निकाय के अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है ।

२३—उपविधियों का अर्थ

८२—यदि उपविधियों की किसी धारा के अर्थ के सम्बन्ध म कोई मतभद हो तो प्रबन्ध कमेटी ऐसे मामलों को निबन्धक के पास भेजेगी और इस विषय में उसका निणय अन्तिम होगा ।

२४—समिति का समापन

८३—अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अनुसार समिति का समापन किया जा सकता है ।

२५—विविध

८४—समस्त मामले जो कि विशेषतः इन उपाधियों में नहीं दिये हुए हैं, अधिनियम एवं नियमों के प्राविधानों के अनुसार निर्णीत किये जायेंगे और यदि इन मामलों से सम्बन्धित कोई प्राविधान अधिनियम और नियमों में लागू नहीं होता तो यह विषय इस प्रकार से निर्णीत किया जायगा जैसा कि निबन्धक द्वारा निर्देश दिये जाय । अधिनियम, नियमों और इन उपविधियों की व्याख्या के सम्बन्ध में यदि कोई सन्देह उत्पन्न हो तो कार्यकारिणी समिति, प्रबन्ध कमेटी या सामान्य निकाय एसे मामले को निबन्धक के पास भेजेगी, जिसकी राय बाध्यकर होगी ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी०९—सहकारी—१९७५—२४२०—५००० (हि०)।